fonHkZ izknsf'kd ekgs'ojh laxBu
¼varxZr vf[ky Hkkjro"khZ; ekgs'ojh egklHkk½

1. uke & इस संस्था का नाम fonHkZ izknsf'kd ekgs'ojh laxBu होगा।
2. dk;Z{ks= & इस संस्था का कार्यक्षेत्र अ. भा. माहेश्वरी महासभा द्वारा निर्धारित महाराष्ट्र प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र होगा। वर्तमान मे निम्नलिखित 11 राजस्व जिले इसका कार्यक्षेत्र होगें। सुविधा की दृष्टी से इन्हे दो विभागो में रखा गया है।

   iwoZ foHkkx ftyks dk uke 1–नागपुर 2–भंडारा 3–गोंदिया 4–चंद्रपुर 5–गढचिरोली 6–वर्धा
   if'pe foHkkx ftyks dk uke 7–बुलढाना 8–आकोला 9–वाशिम 10&अमरावती 11&यवतमाल

   भविष्य में राजस्व जिलों में सरकारी अध्यादेश के अनुसार कोई परिवर्तन किया गया तो उसी तिथीसे वह इस विधान में परिवर्तीत मान लिया जायेगा।

3- m)s'; & विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के संगठन का एक अंग होने से अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के उद्धेश्य ही प्रदेश सभा के उद्धेश्य होंगे। अर्थात समस्त भारत वासियों की उन्नति एवं प्रगति के व्यापक दृष्टिकोण के साथ माहेश्वरी समाज के समयानुकूल सर्वांगीण उन्नति करना जिससे माहेश्वरी समाज राष्ट्र का एक प्रगतिशील घटक बना रहे। इस उद्धेश्य पुर्ति हेतु निम्नलिखित एवं इनसे सम्बन्धित समयोंचित कार्य करनाः

   1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक व्यावसायिक, शैक्षणिक, शारीरिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना। ऐसे कार्यो को साध्य करने के लिए आवश्यक संस्थाओं से सहयोग करना। पत्र, पत्रिकाएँ, स्मारिकायें एवं प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण करना।
   2. रोजगार, व्यवसाय आदि के इच्छुक व्यक्तियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना। इस हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शनी, सेमिनार आदि का आयोजन करना। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक अवसर व आवासीय सुविधाएँ बढ़ाना।
   3. समाज के अभावग्रस्त लोगों की सहायता करना, छात्रवृत्ति अथवा ऋण छात्रवृत्ति तथा ऋण पर ब्याज अदायगी में सहयोग करना। आवश्यता होने पर जरूरतमंद विद्यार्थीयों को बैंकों या अन्य संस्थानों से ऋण दिलाने में सहयोग प्रदान करना।
   4. समाज के असहाय बेरोजगार, अपंग, अस्वस्थ अथवा निराश्रितों एवं जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं एवं पुरूषों को सहायता व सहयोग देना।
   5 अ. भा. माहेश्वरी महासभा एंव प्रदेश सभा की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सम्पन्न करने में सहयोग करना एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके स्वस्थ परम्पराओं के विकास का प्रयास करना।
   6. अ. भा. माहेश्वरी महासभा द्वारा स्थापित और संचालित संस्थाओं एवं न्यासों का लाभ माहेश्वरी समाज के साथ ही यथा सम्भव अन्य समाजों को भी देना।
   7. जिन संस्थाओं द्वारा समाज के लोगों को लाभ पहुंचता हो उनकी सहायता करना, उनका संचालन करना और उनके संचालन में महासभा का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्रीय, सामाजिक व लोक कल्याण के अन्य कार्यो में भाग लेना तथा सहयोग करना।
   8. प्रादेशिक सभा के उद्धेश्यों को अग्रसर करने के लिए सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, गोष्ठियाँ, शिविर, वादविवाद, सांस्कृतिक समारोह,प्रदर्शनी, खेलकूद, व्यायाम, योग, चलचित्र, नाटक आदि विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना अथवा करवाना। बालकों तथा वयस्कों को सुसंस्कारित करने हेतु संस्कार शिविर, कार्यकर्ता शिविर तथा व्यक्तित्व विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
   9. निर्धारित कायों एवं योजनाओं के लिए धनसंग्रह करना, उसका विनियोग करना। चल अथवा अचल सम्पत्ति प्राप्त अथवा धारण करना। इन कायों के लिए आवश्यक संगठन अथवा न्यास आदि स्थापित करना, सम्पत्ति सम्बन्धी क्रय–विक्रय ऋण बंधक लीज आदि के अधिकर ग्रहण करना।
   10. अन्य ऐसे कार्य करना जिससे समाज की उन्नति सम्भव हो।

4 cfg"dkj fo"k;d uhfr & सभा में प्रस्तुत होने वाले किसी भी प्रस्ताव मे सामाजिक बहिष्कार की नीति को स्थाान नहीं दिया जायेगा।

5 ifjHkk"kk,¡–इस विधान में उल्लेखित विशिष्ट शब्दों का अर्थ निम्नानुसार समझा जायेगा :–

   1. महासभा अथवा अखिल भारतवर्षीय शब्द से तात्पर्य ''अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा'' से है।
   2. ''माहेश्वरी'' शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो स्वंय को माहेश्वरी कहते है। और जिन्हें समाज माहेश्वरी मानता है तथा जिनकी खॉप माहेश्वरी जाति की खॉपों में से है।
   3. समाज या सामाजिक शब्द से आशय माहेश्वरी समाज से है।

4. प्रदेश सभा या संगठन से तात्पर्य विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन से है।
5. जिला सभा, आंचलिक सभा, तहसील सभा, ग्राम सभा, नगर सभा, क्षेत्रीय सभा आदि शब्दों का अर्थ निर्धारित क्षेत्रों की माहेश्वरी सभाओं से है।
6. कार्यकारी मण्डल का अर्थ प्रादेशिक संगठन के कार्यकारी मण्डल से है।
7. कार्यसमिति / प्रबन्धसमिति का अर्थ विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन की प्रबन्धकारिणी या कार्यसमिति से है।
8. " प्रादेशिक " शब्द का तात्पर्य " प्रदेश माहेश्वरी संगठन " से है।
9. प्रादेशिक ट्रस्ट का अर्थ विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन द्वारा स्थापित ट्रस्ट से है।
10. प्रथम स्तरीय कार्यकारी मण्डल श्रृंखलाबद्ध संगठन में सबसे पहली कडी ग्राम की होती है। ग्राम, नगर आदि मिल कर तहसील कार्यकारी मण्डल का गठन करते है। यह प्रथम स्तरीय कार्यकारी मण्डल है। यदि तहसील सभा कार्यरत नहीं होगी तो जिला सभा कार्यकारी मण्डल अथवा महानगरों की स्थिति में आंचलिक सभा प्रथम स्तर कार्यकारी मण्डल माना जायेगा। जहां जिला सभाएं कार्यरत नहीं होगी वहां प्रादेशिक मण्डल प्रथम स्तर कार्यकारी मण्डल होगा।

6- dk;ky;& 1–कार्यसमिति के निश्चयानुसार प्रदेश अध्यक्ष अथवा प्रदेश मंत्री का कार्यालय प्रदेश सभा का मुख्य कार्यालय होगा।

2– आवश्यक हो तो प्रदेश सभा कार्यकारी मण्डल की स्वीकृति से प्रदेश सभा के लेख, अभिलेख, प्रपत्र, महत्वपूर्ण कागजात आदि के लिए स्थायी कार्यालय का निर्माण कर सकेगी एवं वहां की व्यवस्था सम्बन्धी योजना बनायेगी।

7- <u>iknf'kd lxBu d vo;o&</u> ग्राम सभा अथवा स्थानीय सभा, नगर सभा, तहसील या नगरीय तहसील सभा, जिला सभा अथवा आंचलिक सभा, एवं प्रदेश संगठन द्वारा स्थापित ट्रस्ट अथवा न्यास

8- <u>iknf'kd lHkk dk xBu</u>& प्रादेशिक सभा का गठन निम्न प्रकार के सदस्यों द्वारा होगा।

1) चयनित सदस्य 2) पदेन सदस्य तथा 3) मनोनीत सदस्य

1½ <u>p;fur lnL;&</u>

अ) जिला सभाओं द्वारा चयनित प्रादेशिक कार्यकारी मंडल के सदस्य (संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार)

आ) जिला सभाओ द्वारा चयनित महासभा कार्यकारी मंडल के सदस्य । (संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार)

2½ <u>inu lnL;</u> & in'k lHkk d lhek {k= e fuokl dju oky fuEu 0;Drh in'k lHkk dk;dkjh e.My d inu lnL; eku tk;xA

1. महासभा के समस्त पदाधिकरी, कार्यसमिति के सदस्य
2. महासभा के निवर्तमान एवं भूतपुर्व सभापति एंव महामंत्री
3. श्रीकृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट के वर्तमान न्यासी अथवा प्रदेश के संयोजक
4. श्री आदित्य विक्रम बिड़ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केन्द्र के प्रबंध समिति के सदस्य, श्री रामगोपाल माहेश्वरी ट्रस्ट, कोठारी बन्धु शौर्य ट्रस्ट तथा महासभा द्वारा स्थापित अन्य ट्रस्ट के प्रबन्धन्यासी, अध्यक्ष एवम् मन्त्री
5. प्रादेशिक न्यास की प्रबन्धकारिणी के सदस्य अथवा ट्रस्टी (यदि प्रादेशिक न्यास सक्रिय रूप से कार्यरत हो तथा सदस्य दायित्व निर्वहन कर रहे हो)
6. प्रादेशिक संगठन के निवर्तमान अध्यक्ष एवं मन्त्री
7. प्रादेशिक महिला एवं युवा संगठन के वर्तमान अध्यक्ष एवं मन्त्री
8. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला एवं युवा संगठन के प्रदेश में निवास करने वाले पदाधिकारी
10. जिला सभाओं के अध्यक्ष एवं मन्त्री

3½ <u>eukuhr lnL; &</u> नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा प्रदेश कार्यकारी मण्डल मे ख्यातिप्राप्त शिक्षा शास्त्री, लोक सभा, राज्य सभा तथा विधान सभा के सदस्य, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पत्रकारों एवं समाज सेवियों मे से पाँच सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सभी सदस्यों की सभा प्रदेश कार्यकारी मण्डल कहलायेगा तथा इन सभी सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य समान होंगे।

9- InL;rk

1½ lk/kkj.k InL; &

प्रदेश सीमा में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले माहेश्वरी समाज के सभी स्त्री पुरूष सामान्य सदस्य माने जायेंगे । संगठन का यह मूलधार होगा। सभी साधारण सदस्य प्रदेश द्वारा आयोजित अधिवेशन मे भाग ले सकेंगे तथा अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

2½ p;fur InL; & प्रदेश के साधारण सदस्य निर्धारित शुल्क देकर स्थानीय संगठन के (एक परिवार से एक सदस्य) सदस्य बन सकेंगे। स्थानीय संगठन से निर्वाचित सदस्य ही संलग्न परिशिष्ठ में दिये गए निर्देशानुसार प्रदेश सभा कार्यकारी मण्डल के सदस्य बन सकेंगे । इन्हें प्रदेश कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सत्र शुल्क देना होगा।

3½ inu InL; & प्रदेश सभा के विधान की धारा 8 (2) मे वर्णित सदस्य प्रदेश कार्यकारी मण्डल के पदेन सदस्य होंगे। इन्हें प्रदेश कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सत्र शुल्क देना होगा।

4½ lg;kxh InL; & प्रदेश सभा की कार्यसमिति द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई राशि देकर सहयोगी सदस्यता पुरे सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी । सहयोगी सदस्य को कार्यकारी मण्डल की प्रत्येक बैठक की सूचना दी जावेगी।विषयों की चर्चा में वे सहभागी हो सकेंगे लेकिन उन्हे मतदान एवं चुनाव मे भाग लेने का अधिकार नही होगा।

10 InL;rk lс fu"dklu @ in eqfDr @ vyx gkuk &

1. पागलपन अथवा मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने के बाद स्वीकृत होने पर
3. संस्था के उद्धेश्यों के विपरीत आचरण करने पर
4. प्रदेश की कार्यसमिति द्वारा दोषी करार देने पर
5. प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों की सभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर देने पर। ऐसे मामले पूर्व में एजेण्डा मे सूचित होने चाहिए।
6. न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित होने पर
7. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा अथवा प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन से असम्बन्ध समानान्तर संस्था/संगठन की सदस्यता ग्रहण करने पर
8. सदस्यता त्यागने पर
9. संगठन सम्बन्धी विवाद को न्यायालय में ले जाने पर।

ukV & निष्कासन/पदमुक्ति की कार्यवाही करने से पूर्व आगे नियमों का उलघंन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही शीर्षक के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

11- izns'k dk;Zdkjh e.My dс vf/kdkj ,oa drZO; %

1. संगठन के कार्य की दृष्टी से निर्धारित क्षेत्रानुसार (संभागानुसार) जिला / आंचलिक सभाओं का गठन कराना तथा प्रत्येक क्षेत्र (संभाग) मे निवास करने वाले परिवारों के आधार पर गठन हेतु विधान के अन्त मे दिये गए परिशिष्ठ मे उल्लेख को ध्यान मे रखते हुए आधार बनाना और चुनाव की व्यवस्था हेतु प्रदेश कार्यसमिति के माध्यम से जिला सभाओं को निर्देश देना।
2. प्रदेश कार्यसमिति का चुनाव कराना।
3. वार्षिक बजट पारित करना एवं कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक अंकेक्षित हिसाब का अनुमोदन करना।
4. कार्यसमिति द्वारा किए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना और प्रादेशिक संगठन के कार्यो के सम्बन्ध मे निति निर्धारित करना।
5. संस्था के विधान मे संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन (इस हेतु आगे दिये गए प्रावधानों के अनुसार) करना।
6. प्रदेश सभा एवं महासभा के उद्धेश्यों को अग्रसर करने एवं उनमे पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व प्रदेश कार्यकारी मण्डल पर होगा। इन कार्यो के सम्बन्ध मे विविध योजनायें
निर्धारित करने नियम, उपनियम बनाने एवं आवश्यकतानुसार संगठन अथवा समितियाँ/उपसमितियॉ स्थापित करने का अधिकार होगा।
7. सत्र के बीच मे प्रदेश के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर शेष कालावधि के लिए अध्यक्ष चुनाव करना।
8. प्रदेश कार्यकारी मण्डल के जो सदस्य बिना सूचना दिये लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित रहते है उनके स्थान रिक्त घोषित किये जायेंगे एवं रिक्त स्थान पर अध्यक्ष द्वारा शेष अवधि हेतु नये सदस्य सम्बन्धित क्षेत्र की जिला सभा की सहमति से मनोनीत किए जा सकेंगे परन्तु स्थान रिक्त घोषित करने से पूर्व सम्बन्धित सदस्य को इसकी सूचना देकर 15 दिन की अवधि मे उत्तर मांगा जावेगा।

9. महासभा से सम्बद्धता प्राप्त करना। (इस हेतु उसे महासभा के निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना होगा तथा निर्धारित सत्र शुल्क जमा कराना होगा)

12- d½ in'k dk;dkjh e.My dh cBd

1. अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश मंत्री द्वारा कार्यकारी मण्डल की बैठकें आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी परन्तु वर्ष मे दो बैठके बुलाना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष या मन्त्री द्वारा भी बुलाई जा सकेगी । यह बैठक चुनाव बैठक के अलावा होगी।

2. प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का होगा जिसमे न्युनतम तीन पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

3. बैठक की सूचना 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व डाक अथवा उचित माध्यम से एवं अत्यावश्यक अथवा अधियाचित बैठक की सूचना डाक से यु. पी. सी. / ई – मेल द्वारा (सात) दिन पूर्व दी जायेगी।

4. प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठक मे साधारणतः उन्ही विषयों पर विचार किया जा सकेगा जो विचारार्थ विषयों की सूची मे प्रसारित किए गए है, परन्तु अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी विचार किया जा सकेगा। आय व्यय पत्रक वर्ष मे एक बार पेश किया जावेगा।

5 प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठक की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रदेश कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावें व सुझावों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से विचारार्थ रखा जा सकेगा।

¼[k½ LFkfxr cBd

कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी । जो बैठक की सूचना के साथ प्रसारित स्थगन सम्बन्धी सूचनानुसार अथवा पुनः आधा घण्टा पश्चात आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी। विचाराधीन विषय वहीं होंगे जो पूर्व प्रसारित ऐजेण्डा मे थे, परन्तु विधान संशोधन अथवा चुनावी कार्य नहीं होगा।

x½ vf/k;kfpr cBd

कार्यकारी मण्डल के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन पर मंत्री या अध्यक्ष द्वारा दो माह के अन्दर अधियाचित बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि मे अध्यक्ष या मन्त्री द्वारा बैठक नहीं बुलाए जाने पर उक्त सदस्यों मे से कोई भी दस सदस्य आवेदन की तिथि के दो माह बाद 15 दिन का समय देकर बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक मे होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे बेठक बुाने की सूचना यू. पी. सी. द्वारा दी जावेगी। इस बैठक मे अधियाचित बैठक बुलाने हेतु किए आवेदन मे उल्लेखित विषयों पर ही विचार हो सकेगा।

13- in'k dh dk;lfefr dk xBu

1& प्रदेश कार्यसमिति में निर्वाचित/चयनित पदाधिकारियों की संख्या 41 होगी।

2& कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रादेशिक कार्यकारी मण्डल द्वारा कार्यसमिति का गठन किया जायेगा। कार्यसमिति मे पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

1. अध्यक्ष–एक, 2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष – एक,
3. उपाध्यक्ष–दो (पूर्व संभाग – एक, पश्चिम संभाग – एक),
4. मन्त्री–एक, 5. अर्थमन्त्री–एक
6. संगठनमन्त्री – दो (पूर्व संभाग – एक पश्चिम संभाग – एक)
7. संयुक्तमन्त्री – चार (पूर्व संभाग – दो पश्चिम संभाग – दो)
8. सहमंत्री – एक (अध्यक्ष द्वारा प्रदेश मंत्री की सहमति से)
9.– 3 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा ।

25 lnL;k dk dk;dkjheMy e l puko gkxkA

3– उपरोक्त 13 (2) मे वर्णित सदस्यों के अतिरिक्त प्रदेश सभा क्षेत्र मे निवास करने वाले निम्नलिखित महानुभाव कार्यसमिति के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों को चयनित सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त होगें।

1 महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्य
2 महासभा के निवर्तमान एवं भूतपूर्व सभापति एवं महामंत्री
3 निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री
4 महिला एवं युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं मन्त्री
5 जिला अथवा समकक्ष सभा के अध्यक्ष
6 प्रादेशिक ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा प्रबन्धन्यासी अथवा मन्त्री

4– आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को विशेष आमन्त्रित के रूप मे बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। कार्यसमिति की बैठक के कोरम हेतु विशेष आमन्त्रित सदस्यों को नहीं गिना जावेगा।

14- <u>dk;lfefr dk fuokpu</u>

1 प्रदेश सभा की कार्यसमिति का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जावेगा।

2 चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। धारा 8 (1 से 2) तक में वर्णित सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकेंगे एवं प्रत्याशी भी बन सकेंगे।

3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति चालु सत्र की कार्यसमिति द्वारा की जावेगी तथा चुनाव के समय पर्यवेक्षक भेजने हेतु महासभा से चुनाव की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व निवेदन किया जावेगा।

4 कार्यसमिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन नीचे लिखे अनुसार होगाः–

v/;{k– अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा किया जावेगा। सत्र के बीच में अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर शेष कालावधि के लिए अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा ही किया जावेगा। उक्त चुनाव सभा की सूचना निश्चित तिथि से 21 दिन पूर्व जारी करना आवश्यक होगा।

ofj"B mik/;{k – वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा किया जावेगा।

mik/;{k – का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सम्बन्धित सम्भाग के सदस्यों द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक सम्भाग से एक उपाध्यक्ष चुना जावेगा।

in'k eU=h& प्रदेश मन्त्री का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा किया जावेगा।

vFkeU=h& अर्थमन्त्री का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा किया जावेगा।

lxBu eU=h& का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सम्बन्धित सम्भाग के सदस्यों द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक सम्भाग से एक संगठनमंत्री चुना जावेगा।

l;ä eU=h& संयुक्तमन्त्री का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सम्बन्धित सम्भाग के सदस्यों द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक सम्भाग से दो संयुक्त मन्त्री चुने जावेगे।

lgeU=h& अध्यक्ष द्वारा प्रदेश मन्त्री की सहमति से मनोनीत किया जावेगा।

lnL;& प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों में से तीन सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेगे व शेष का आवंटन प्रदेश कार्यसमिति द्वारा जिलों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए किया जावेगा।

5 <u>inkf/kdkfj;;k gr vgrk,&</u> पदाधिकारियों हेतु अहर्ताएँ निम्नानुसार होगी–

v/;{k&(अ) न्यूनतम आयु 40 वर्ष हो।

(आ) पूर्व में प्रादेशिक सभा का पदाधिकारी रहा हो एवं कार्यकारी मण्डल का दो सत्र तक सदस्य रहा हो। महासभा कार्यसमिति का एक सत्र तक एवं प्रदेश कार्यसमिति का एक सत्र तक सदस्य रहा हो।

eU=h& (अ) न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।

(आ) एक पूर्ण सत्र तक प्रदेश का पदाधिकारी हो। अथवा महासभा अथवा प्रदेश कार्यकारी मण्डल एवं प्रदेश कार्यसमिति का एक सत्र सदस्य रहा हो।

vU; inkf/kdkjh&

अ) न्युननम आयु 35 वर्ष हो

आ) एक पुर्ण सत्र तक प्रदेश कार्यसमिति का अथवा दो पुर्ण सत्र तक प्रदेश कार्यकारी मण्डल का सदस्य रहा हो।

ukV & प्रथम बार मे उपरोक्त अर्हताए लागू नहीं होगी।

15 dk;lfefr d vf/kdkj ,o drO; &

lxBu dh dk;lfefr d fuEufyf[kr vf/kdj ,o drO; gkx %&

1. प्रदेश कार्यकारी मण्डल के प्रति उततरदायित्व निभाना।
2. प्रदेश सभा की सत्रवार एवम् वर्षवार योजना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उसका कलेण्डर बना तदनुसार कार्यो को सम्पादित कराना।
3. समय समय पर योजनाओं एवम् कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर अनुवर्ति कार्यक्रम बनाना।
4. जिला सभाओं से सत्रवार एवं वर्षवार योजना एवं कार्यक्रम बनवा कर उनका उनुमोदन करना तथा इस हेतु मार्गदर्शन देना।
5. पूरे प्रदेश को संगठित एवं कियाशील बनाये रखने हेतु विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन देना।

6. वार्षिक बजट तैयार करना एवं वार्षिक अंकेक्षित हिसाब को प्रदेश कार्यकारी मण्डल में रखने से पूर्व उन्हें पारित करना।
7. संगठन की सम्पति की सुरक्षा करना। उसकी चल, अचल सम्पति, पूंजी, भवन निर्माण व उनकी व्यवस्था करना तथा दान व सहयोग राशि तथा भेंट / उपहार आदि प्राप्त करना।
8. वैतनिक कर्मचारियों की नियुकित करना तथा उनके वेतन व भत्तों आदि का निर्धारण करना तथा उनकी सेवा शर्ते तय करना, सेवा मुक्त करना आदि।
9. आवश्यक्तानुसार कार्यसमिति में पदों की संख्या मे वृद्धि या कमी करना अथवा नये पद सृजित करना। इन्हे प्रदेश कार्यकारी मण्डल की अगली बैटक में अनुमोदित कराना।
10. जिला सभाओं की कार्यसमिति मे एक सदस्य मनोनीत करना ताकि प्रदेश एवं जिला सभा में समन्वय बना रहे।
11. निर्धारित उद्धेश्यों को अग्रसर करना एवं प्रदेश कार्यकारी मंण्डल में पारित प्रस्तावों मे कियान्वयन का दायित्व वहन करना ।
12. विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमो के प्रभावी कियान्वयन हेतु विभिन्न समितियों एवं प्रकोष्ठों का गठन करना तथा उनके लिए कार्य विधि एवं कार्यक्षेत्रों का निर्धारण करना। इनके कार्य संचालन हेतु नियम बनाना।ये सभी नियम विधान एवं नियमावली के भाग समझे जावेंगे।
13 प्रादेशिक सभा की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने हेतु प्रयास करना एवं निर्णय लेना।
14 महासभा कार्यकारी मण्डल हेतु जिला सभाओं से प्राप्त नामों का अनुमोदन कर उन्हे शुल्क सहित महासभा को प्रेषित करना।
15. प्रदेश स्तरीय विभिन्न चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना।
16. चुनावों सम्बन्धी नियम व उपनियम बनाना।
17. हिसाब की जॉच हेतु आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त करना और ऑडिट हेतु चार्टड एकाउन्टेन्ट नियुक्त करना ।
18 महासभा और प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रस्तावें की कियान्विति करना।
19 जो पदाधिकारी /सदस्य बिना सूचना दिए लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं उनके स्थान रिक्त घोषित किए जा सकेंगे, परंतु स्थान रिक्त घोषित करने से पूर्व सम्बन्धित सदस्य को इसकी लिखित सूचना देकार 15 दिन की अवधि मे उत्तर मांगा जावेगा। निर्धारित समय मे उतत‍र नहीं आने पर स्थान रिक्त घोषित कर दिया जावेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यसमिति की बैठक मे शेषकालावधि के लिए करना।
20 महासभा की कार्यसमिति के लिए सदस्य / सदस्यों का चुनाव प्रदेश से अ. भा. माहेश्वरी महासभा कार्यकारी मण्डल के सदस्यों में से करना।
21 कार्यसमिति में पदाधिकारियों (अध्यक्ष के अतिरिक्त)और महासभा कार्यसमिति सदस्यों का स्थान रिक्त होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति शेषकालावधि हेतु करना
22 प्रदेश कार्यकारी मण्डल, कार्यसमिति एवं पदाधिकारियों से लिया जाने वाला शुल्क समय समय पर निर्धारित करना।
23 प्रदेश के अध्यक्ष और अथवा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने पर त्यागपत्र को स्वीकार करना।
24 निधन, अनुपस्थिति, त्याग पत्र अथवा अन्य कारण से प्रदेश कार्यकारी मण्डल में सदस्यों के जो स्थान रिक्त होते हैं, उनके स्थान पर शेषकालावधि हेतु नये सदस्य का मनोनयन / चयन करना।
25 स्थानीय सभा स्तर पद सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क का निर्धारण करना।
26 जिला अथवा समकक्ष संगठनों का सत्र सम्बद्धता शुल्क निर्धारण करना व सम्बद्धता प्रदान करना।

16 dk;Zlfefr dh cSBd

1 कार्यसमिति की सत्र में कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष / मन्त्री द्वारा कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी।
2 बैठक का कोरम 1/3 सदस्यों का माना जावेगा जिसमे तीन पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी। पदेन एवं आमन्त्रित सदस्यों को कोरम हेतु शामिल नहीं माने जायेंगे।
3 बैठक की सूचना प्रायः 15 दिन पूर्व दी जावेगी परन्तु अत्यावश्यक बैठक की सूचना तीन दिन के समय मे भी दी जा सकती है।
4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो बैठक के एजेण्डा में प्रसारित सूचना के अनुसार पुनः आधे घण्टे पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा मे

थे। इस बैठक मे उपस्थित सदस्यों के अलावा कम से कम तीन पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्थगित बैठक की कार्यवाही की पुष्टि आगामी कार्यसमिति की बैठक मे कराना आवश्यक होगा।

5 बैठक की सूचना कोरियर / ई– मेल, साधारण डाक से / यु. पी. सी. से दी जावेगी जो पर्याप्त मानी जावेगी।

17- inkf/kdkfj;ksa ds dRrZO; o vf/kdkj

v/;{k

1. प्रदेशक कार्यकारी मण्डल, कार्यसमिति और प्रदेश स्तर की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. प्रदेश सभा के कार्य संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे एवं सभा को गतिशील रखने तथा उद्धेश्यों की पूर्ति का प्रयास करना।
3. प्रदेश एवं जिला सभा के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समय समय पर विश्लेषण कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. समितियों एवं उपसमितियों को सक्रिय रखते हुए उनके कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना।
5. बैठकें आहूत करने तथा असकी व्यवस्था करने हेतु मन्त्री को निर्देश देना।
6. आवश्यकता होने पर बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना ।
7. महासभा एवं अन्य स्थानो पर सभा का प्रतिनिधित्व करना।
8. संविदा और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
9. विभिन्न पदाधिकारियों व समितियों को कार्य वितरण करना।
10. संगठन को सुदृढ़ करने हेतु भ्रमण करना। जिला एवं प्रदेश स्तर मे सम्मेलन आयेजित कराने का प्रयास करना।
11. जिला सभाओं को गतिशील रखने हेतु मार्गदर्शन करना व अन्य आवश्यक कार्यवाही करना।
12. अपने स्वविवेक से 5 हजार रूपये तक (एक समय मे) खर्च करने की स्वीकृति देना जिसकी पुष्टि कार्यसमिति की आगामी बैठक मे कराई जावेगी।
13. अन्य कार्य व निर्णय लेना जो समयानुकूल आवश्यक हो।
14. जिला क्षेत्र मे वहॉ के कार्यकारी मण्डल अथवा जिला कार्यकारी मण्डल के चुनाव निर्धारित समय मे नही होने की स्थिति में धारा 22 (चार) की प्रक्रिया पूरी करते हूए सम्बन्धित जिला सभा को भंग करना। किसी जिला क्षेत्र में संगठन स्थापित न हो सकने की स्थिति में उन क्षेत्रों में चुनाव कराने तथा नये निवार्चित पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने तक संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु तदर्थ समिति अथवा संयोजक का मनोनयन करना। उन जिला क्षेत्रों से निर्धारित संख्या में महासभा व प्रदेश सभा आदि हेतु प्रदेश मन्त्री के परामर्श से सदस्य मनोनीत करना तथा इसका अनुमोदन आगामी कार्यसमिति की बैठक में कराना।

ofj"B mik/;{k %

1. अध्यक्ष की अनुपस्थित में अध्यक्षता करना ।
2. अध्यक्ष द्वारा दिये गये कार्यो में सहयोग करना।

mik/;{k %

1. अपने अपने संभागों मे जिला सभाओं को सक्रिय रखने हेतु समय समय पर भ्रमण करना और उनका मार्ग दर्शन करना तथा सम्भागीय स्तर/ जिलास्तर पर कार्यगोष्ठियॉ अथवा बैठके आदि आयोजित कर समाज को गतिशील रखना एवं सदस्यों को सक्रिय रखना एवं चुनाव आदि कराना।
2. प्रदेश के विभागीय कार्य सम्पदित कराने में तथा प्रदेश द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों / कार्यों को सम्पादित करने मे पूर्ण जिम्मेदारी निभाना ।

eU=h %

1 प्रदेश सभा के कार्यालय व कार्यो का संचालन करना । सभा, सम्मेलन, प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिति की बैठके अध्यक्ष के परामर्श से आयोजित करना।

2 बैठके आहूत करने हेतु कार्य सुचि बनाना, उनको सदस्यो को भेजना, बैठकों का संचालन करना व कार्यवाही का रिकार्ड रखना एवं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

3 सभा से सम्बन्धित कर्मचारियों को कार्यसमिति की स्वकृति से नियुक्त करना उन पर नियन्त्रण रखना तथा उनके वेतन बिल आदि पास कर भुगतान करने को अर्थ मन्त्री को निर्देश देना।

4 प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिति के निर्णयानुसार सभा का कार्य करना तथा स्वीकृत बजट के अनुसार खर्च करना व खर्चो पर नियन्त्रण रखना।

5 प्रदेश सभा के अध्यक्ष की सम्मति से सत्र एवं वर्षवार योजना एवं कार्यक्रम बना उसे कार्यसमिति से अनुमोदित कराना तथा इसकी जानकारी एवं प्रगति से कार्यकारी मण्डल को अवगत कराना।

6 महासभा से आये पत्रों को जिला एवं तहसील स्तर तक प्रसारित करना।

7 कार्यसमिति द्वारा गठित समितियों / उपसमितियों का कार्य एवं क्षेत्र निर्धारित कर उनसे कार्य करवाना।
8 अन्य पदाधिकारीयों को कार्य में मदद व मार्गदर्शन करना और समस्त गतिविधियों की जानकारी रखना।
9 जिला सभाओं और महासभा कार्यालयों से सम्पर्क रखना एवं आवश्यक हो तो भ्रमण करना।
10 प्रदेश सभा को गतिशील रखने मे अध्यक्ष / उपाध्यक्षों को सहयोग देना।
11 प्रदेश सभा की और से समस्त पत्र व्यवहार करना । समस्त कानूनी कार्यवाही करना, दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना और मामलो की पैरवी करना। सम्पति की सुरक्षा हेतु अन्य वैधानिक कार्यवाही करना।
12 अपने स्वविवेक से 2 हजार रूपये तक (एक मुश्त) खर्च करने की स्वीकृति अध्यक्ष से सहमति लेकर देना। इसका हिसाब कार्यसमिति की अगली बैठक मे प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना।
13 अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करना जो प्रादेशिक सभा के हित मे हो और वांछित हो।
14. वार्षीक लेखे तैयार कराकर उनका आडिट कराना तथा कार्यसमिति से स्वीकृत कराकर प्रदेश कार्यकारी मण्डल से अनुमोदन कराना।
15 दान, भेट, चन्दा, चल/ अचल सम्पति संस्था के उद्धेश्यों को ध्यान मे रख कर स्वीकार करना । प्राप्त चेक / ड्रफ्ट / नगद आदि को अर्थमन्त्री को जमा खर्च हेतु भेजना।
16 निर्णयानुसार बैंक खातों को अर्थमन्त्री को जमा खर्च हेतु भेजना
17 सहमन्त्री/ संयुक्तमन्त्रियों मे कार्य विभाजन करना।

vFkZeU=h %

1 वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2 प्रदेश मन्त्री के परामर्श से बजट बनाना उसे कार्यसमिति एवं कार्यकारी मण्डल से अनुमोदित कराना । स्वीकृत बजट के अनुसार अर्थ संग्रह की योजना बनाना, अर्थ संग्रह करना और खर्चो पर नियन्त्रण रखना।
3 चन्दा/ शुल्क/ अनुदान/भेंट आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4 संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना । हिसाब की आन्तरिक अंकेक्षक से जांच कराना एवं चार्टड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराना। कार्यसमिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
5 अपने पास इम्प्रेस्ट मनी के रूप में अधिकतम 5000/– रूपये तक नकद राशि रखना तथा स्व विवेक से 1000/– रूपये का व्यय मंत्री की सहमती से करना।
6 प्रदेश मन्त्री के परामर्श से बैंक खातों के संचालन का कार्य करना।

lxBu eU=h

1 संगठन को सक्रिय रखना तथा भ्रमण व प्रचार आदि करके संगठन को सुदृढ बनाना। प्रदेश कार्यकारी मण्डल, कार्यसमिति, अध्यक्ष व मन्त्री के निर्देशानुसार विभिन्न संगठनात्मक कार्य संम्पादित करना/कराना । सम्भागीय उपाध्यक्षों व संयुक्तमन्त्रीयों से निरन्तर सम्पर्क में रहना तथा उन्हें सक्रिय रखना। संभागों में जिला सभाओं के गठन कराने का ध्यान रखना व गठन कराना । सम्भाग स्तर पर समय समय पर बैठकों का आयोजन कराना, महासभा व प्रदेश के कार्यक्रमानुसार सम्भाग मे जिला सभाओं को गतिशील रखना । स्थानीय विवादों को सुलझाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना । संगठन को मजबूत रखना।
2 अपने क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट पर छः माह में प्रदेश मन्त्री को प्रस्तुत करना।

lgeU=h

1 प्रदेश मन्त्री की अनुपस्थिति में सभा संचालन करना, कार्यवाही का रेकार्ड रखना तथा प्रदेश मन्त्री को हर कार्य में सहयोग देना।
2 प्रदेश मन्त्री व अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य कर सहयोग प्रदान करना।

l;qDreU=h

1 अध्यक्ष, प्रदेश मन्त्री व सम्भागीय उपाध्यक्षों के द्वारा दिए गए कार्यो का संचालन करना एवं कार्यवाही आदि रिकार्ड कर प्रदेश मन्त्री को प्रषित करना।
2 अन्य कार्य जो अध्यक्ष / मन्त्री, संभागीय उपाध्यक्ष द्वारा सौंपे जावे उनको सम्पादित करना।
3 संगठन को सुदृढ व गतिशील रखने मे प्रदेश मन्त्री को एवं सम्भाग के उपाध्यक्ष को व अध्यक्ष को सहयोग देना
4 अपने जिम्मे आये कार्य विभाजन को सम्पन्न करने मे सहयोग प्रदान करना।
5 अन्य कार्य जो प्रदेश सभा के हित मे आवश्यक हो करना।
6 सम्भागीय उपाध्यक्ष व संगठन मन्त्री के साथ सम्भाग का समय समय पर भ्रमण करना तथा सम्भाग मे गतिशीलता कायम रखना। सम्भाग मे विभिन्न गतिविधियां और सम्भागीय सभाएं आदि आयोजित कराना तथा हर छह माह मे प्रगति रिपोर्ट प्रदेश मन्त्री को प्रस्तुत करना।

18 lHkk dk vkfFkd o"k ,o dk"k

1 सभा का आर्थिक वर्ष (हिसाबी वर्ष) 1 अप्रेल से 31 मार्च तक माना जावेगा ।
कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

अ) चन्दा	उ) राजकीय अनुदान
आ) शुल्क	ऊ) विज्ञापन एवं अन्य साधन
इ) अनुदान	ए) अन्य विविध स्त्रोतो से प्राप्त
ई) सहायता या सहयोग	

2 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी शिडयुल्ड बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित निवेश की जायेगी । आवश्यकतानुसार स्थाई निधि का निर्माण भी किया जा सकेगा।

3 अध्यक्ष, मन्त्री, अर्थमन्त्री मे से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक मे लेनदेन व व्यवहार हो सकेगा। परन्तु अर्थमन्त्री के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

19- dk"k lEcU/kh fo'k"kkf/kdkj

संस्था के हित मे तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार बजट के अलावा निम्न पदाधिकारी खर्च हेतु राशि एक समय मे एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे

1 अध्यक्ष– 5 हजार रूपये
2 मन्त्री – 2 हजार रूपये
3 कोषाध्यक्ष – एक हजार रूपये

उपरोक्त राशि के खर्च का अनुमोदन कार्यसमिति से कराया जाना आवश्यक होगा।

20 ifjJkfed

सभासद के नाते किसी सदस्य / कार्यकर्ता को परिश्रमिक के रूप मे सभा की आय का कोई भाग नहीं मिलेगा। परन्तु सभा के लिए विशेष सेवायें प्राप्त होने पर सभा कार्यालय (अध्यक्ष / प्रदेश मन्त्री) से पूर्व अनुमति लिए जाने पर किसी कार्यकर्ता को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया जा सकेगा। सभा के कार्य हेतु पदाधिकारी या प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्य, अध्यक्ष की पूर्वानुमति से भ्रमण करेंगे तो उन्हे वास्तविक मार्ग व्यय दिया जा सकेगा।

21. in'k vf/ko'ku

1. प्रदेश अधिवेशन साधारणतया तीन वर्ष मे एक बार होगा। अधिवेशन के आयोजन का स्थान किसी जिला सभा के निमन्त्रण पर निश्चित होगा। साधारण अधिवेशन में प्रदेश सभा की प्रवृतियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। अधिवेशन मे सामाजिक मार्गदर्शन एवं सामान्य लाभ के लिए उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत किये जावेंगे तथा समाजोत्थान की योजनाये निर्धारित या स्वीकृत की जा सकेगी । अधिवेशन में कोई प्रस्ताव अथवा योजना उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों द्वारा स्वीकृति देने पर ही स्वीकृत मानी जायेगी।

2. **Lokxr lfefr ,o xBu**

अधिवेशन के सम्बन्ध मे निश्चय होने पर अधिवेशन सम्बन्धी कार्यवाही के लिए आमन्त्रण देने वाली जिला सभा स्वागत समिति का संयोजक नियुक्त कर कार्य प्रारम्भ करेगी। 30 या उससे अधिक स्वागत समिति के सदस्य बनने पर उनमे से स्वागत समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा। स्वागत समिति का कर्तव्य होगा कि अधिवेशन के बाद उसका विवरण छपवा कर प्रतिनिधियों के पास भेजे।

अधिवेशन के समय जब तक अध्यक्ष अपना स्थान ग्रहन न कर ले तब तक अधिवेशन के कार्य संचालन सम्बन्धी उत्तरदायित्व स्वागत समिति के अध्यक्ष पर होगा।

3 ifrfuf/k fuokpu&

अ– प्रदेश का प्रत्येक माहेश्वरी बन्धु अधिवेशन मे प्रतिनिधि बन सकेगा उसे स्वागत समिति द्वारा निर्धारित प्रनिनिधि शुल्क देना होगा।

ब अधिवेशन के लिए स्थानीय संस्थाएं अपने अपने प्रतिनिधि भेज सकेगी।

4 iLrkr gku okyk iLrko

अधिवेशन मे प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव एक माह पूर्व प्रादेशिक सभा के मन्त्री के पास पहुंच जाना चाहिए ताकि उन्हे व्यवस्थित रूप दिया जा सके प्राप्त प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुए तथा समाज की ज्वलंत समस्याओं पर विचार करके अन्य प्रस्ताव अधिवेशन मे प्रस्तुत करने के लिए कार्यसमिति द्वारा विषय निर्वाचिनी समिति गठित की जावेगी जो अधिवेशन से पूर्व आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगी।

किसी अन्य प्रस्ताव विषय– निर्वाचिनी समिति में अस्वीकृत कोई प्रस्ताव अध्यक्ष की विशेष आज्ञा से ही अधिवेशन मे प्रस्तुत किया जा सकेगा। अधिवेशन द्वारा लिए गए आदेशात्मक प्रस्तावों का पालन करना प्रदेश पदाधिकारियों, कार्यसमिति एवं प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों का नैतिक उत्तरदायित्व होगा।

22 fuokpu ifd;k

1 प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए जिला सभाओं का विधिवत गठन कराकर वहां से प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा महासभा कार्यकारी मण्डल हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव कराये जावेंगे।

2 प्रदेश कार्यकारी मण्डल व महासभा के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक जिला सभा पर प्रदेश द्वारा एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके चुनाव कराये जावेंगे ।

3 प्रदेश के अध्यक्ष तथा प्रदेश कार्यसमिति के चुनाव की तिथि निर्धारित होते ही उसकी सुचना अ. भा. माहेश्वरी महासभा को पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने हेतु भेजी जावेगी।

4 जिला स्तर पर समय से चुनाव नहीं होने पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जावेगी

अ किसी भी जिला सभा का समय पर चुनाव नहीं होने पर प्रादेशिक सभा अध्यक्ष उक्त सभा को उचित नोटिस देकर स्पष्टीकरण मागेंगे तथा जिला सभा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नही होने पर कार्यसमिति की बैठक मे पस्ताव पास करा उसे भंग कर सकेंगे एवं उन क्षेत्रों मे चुनाव कराने तथा नये पदाधिकारियों के पदग्रहण कराने तक संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु संयोजक अथवा तदर्थ समिति का मनोनयन कर उसकी सूचना सम्बन्धित जिला सभा को दी जावेगी।

आ भंग की गई सभा का चुनाव नियुक्त संयोजक / तदर्थ समिति द्वारा चार माह मे कराना होगा।

इ किसी भी सभा को भंग करने से पूर्व उसे उचित नोटिस दिया जावेगा तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यसमिति मे विचार करने के बाद ही उसे भंग किया जायेगा।

5 चुनाव बैठक की सूचना कोरियर डाक /यू. पी. सी. से भिजवाई जावेगी। यदि किसी को चुनाव सूचना प्राप्त नहीं हुई तो इस आधार पर कार्यवाही अवैध नहीं मानी जावेगी।

6 प्रादेशिक सभा का सदस्य खुद उपस्थित होकर ही मतदान कर सकता है मत देने का अधिकार स्थानान्तरित या हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

23 erx.kuk

चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। चुनाव के अलावा अन्य प्रकरणों मे मतदान हाथ उठाकर भी हो सकता है। समान संख्या मे मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा अथवा चिट्ठी निकाल कर भी निर्णय लिया जा सकेगा।

24 dk;dky

प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिति एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, साधारणतः यह महासभा के कार्यकाल से संलग्न होगा, किन्तु किसी अपरिहार्य कारणें से निर्धारित अवधि मे प्रदेश सभा का गठन नहीं होसकने की स्थिति मे प्रदेश कार्यकारी मण्डल अपना कार्यकाल अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढा सकेगा।

25 vkpkj lfgrk

1 महासभा द्वारा स्वीकृत आचार संहिता का प्रत्येक सदस्य एवं संस्था द्वारा पालन करना अपेक्षित है।

2 जिला अथवा क्षेत्रीय /तहसील सभाओं के सदस्यों द्वारा पत्र व्यवहार सम्बन्धित सभाओं के अध्यक्ष के मार्फत किया जावेगा परन्तु शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सीधी भेजी जा सकेगी। उच्च पदाधिकारियों द्वारा शिकायतों पर दो माह तक ध्यान नही देने पर शिकायतकर्ता अन्य पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकेगा इसके अन्यथा पत्र व्यवहार आचार संहिता का उलंघन माना जावेगा।

26 lnL;k }kjk fu;ek dk mYy?ku o vu'kklukRed dk;okgh

महासभा और प्रादेशिक सभा के नियमों/ अनुशासन आदि का बार बार उलंघन करने वाले तथा/अथवा गम्भीर प्रकृति वाले मामलों तथा जिला सभा द्वारा भेजे गए मामलों एवं उपर धारा संख्या 10 मे आने वाले मामलों पर कार्यसमिति उचित कार्यवाही के पश्चात सम्बन्धित सदस्य की सदस्यता निलम्बित कर सकेगी। प्रदेश मन्त्री के पास मामला आने पर प्रदेश मन्त्री द्वारा सम्बन्धित सम्भागीय पदाधिकारियों के माध्यम से 15 दिन का समय देकर प्रारम्भिक जॉच कराई जावेगी। सम्बन्धित सदस्य अपील कर सकेगा। अपील सुनने व निर्णय का अधिकार कार्यसमिति द्वारा नियुक्त अपील अधिकरण को होगा जिसका निर्णय अन्तिम रूप से मान्य

होगा। निर्णय के बाद यदि सदस्यता निलम्बित होती है तो उस सदस्य की सदस्यता सभी स्तरों पर समाप्त मानी जावेगी। समपूर्ण निर्णय प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठक मे सूचनार्थ प्रस्तुत कर दिया जावेगा। सामाजिक प्रश्नों व समस्याओं का निर्णय सामाजिक मंच पर ही किया जावेगा– कोर्ट मे नहीं।

27 LFkkbl dk"k

सभा के कार्य को स्थाई रूप से चलाने के लिए सभा स्थाई कोष का निर्माण कर सकेगी। स्थाई कोष की राशि का प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विनियोजन किया जा सकेगा।

28 fjDr in dh ifrl

1 पदेन सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति उसी पद पर आये नये सदस्य द्वारा होगी।

2 सत्र के मध्य मे हुई पदाधिकारियों (अध्यक्ष के अलावा) व सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति शेषकालावधि के लिए कार्यसमिति कर सकेगी।

3 अध्यक्ष पद यदि रिक्त होता है तो उस पद पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जावेगी। द्वारा

29- dkuquh dk;okgh

सभा के कोष, सम्पति अथवा हिसाब आदि के सम्बन्ध मे आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही मन्त्री के पद नाम से की जायेगी और इस सम्बन्ध मे उन्हे आवश्यक अधिकार, वकालतनामा, दावा जवाबदावा देने लेन आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

30 e/;LFk dh fu;fDr

जिला सभा मे कोई विवाद उपस्थित हाने पर कार्यसमिति आवश्यक जांच पडताल के पश्चात धारा 26 मे आने वाले मामलों के अलावा अन्य विवादों मे आवश्यक समझौता कराने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ती कर सकेगी। विवाद निवारण समिति / मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम माना जायेगा। इसे कोर्ट में नही ले जाया जावेगा। इस निर्णय से प्रभावित होने वाला सदस्य यदि प्रदेश अथवा महासभा का वर्तमान पदाधिकारी, प्रदेश अथवा जाजू ट्रस्ट अथवा कार्य समिति का सदस्य हो तो वह प्रदेश या महासभा की कार्यसमिति मे अपील कर सकेगा।

31 Hkk"kk

सभा की कार्यवाही देवनगरी लिपि मे / हिन्दी भाषा मे लिखी जायेगी।

32 fo l tlu

सभा का विसर्जन का प्रस्ताव यदि प्रदेश कार्यकारी मण्डल मे कार्यसमिति की अनुशंसा पर प्रस्तुत होता है तोः–

1 इस हेतु प्रदेश कार्यकारी मण्डल सभा की विशेष बैठक बुलाई जावेगी।

2 सभा मे आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।

3 उपस्थित सदस्यों मे से निब्बे प्रतिशत के बहुमत से निर्णय होने पर ही प्रस्ताव परित माना जावेगा।

4 ऐसी बैठक कम से कम 50 सदस्यों की मांग पर ही बुलाई जा सकेगी विसर्जन की प्रक्रिया मे प्रदेश सभा की समस्त समपति लेखे, अभिलेखे, प्रपत्र, कागजात आदि का हस्तान्तरण समान उद्धेश्यों वाली संस्था को किया जा सकेगा।

33 bu fu;ek d rgr vyx l fu;e cukuk

संस्था उपने कार्यो को सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक्तानुसार नियम /व्यवस्थाएं बना सकेगी जो इस विधान का हिस्सा समझा जावेगा।

34 lHkk d fo/kku e ifjorlu

सभा के विधान मे आश्यक्तानुसार संशोधन हेतु समय समय पर प्रस्ताव कार्यसमिति के एजेण्डा मे प्रसारित होंगे और अनुमोदित होने पर प्रदेश कार्यकारी मण्डल के एजेण्डा में विचारार्थ रखे जा सकेंगे एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा ।ऐसी मिटिंग की सूचना मय प्रस्तावित संशोधनों के प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों को एक माह पूर्व प्रसारित की जावेगी । विधान मे संशोधन स्थगित मिटिंग मे नहीं हो सकेगे। यदि प्रदेश कार्यकारी मण्डल के 50 प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य विधान मे संशोधन का कोई प्रस्ताव देते है तो उस पर प्रदेश कार्यकारी मण्डल सीधे भी विचार कर

सकती है, परन्तु इसके लिए भी सदस्यों को मय प्रस्ताव के एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। किसी भी परिस्थिती में विधान की मूल भावना मे परिर्वतन नहीं होगा।

35 v/;{k dk fo'k"kkf/kdkj

यदि किसी बिन्दु पर विधान मे प्रावधान नहीं हो अथवा किसी बिन्दु पर आशय (इन्टरप्रीटेशन) की दृष्टि से कोई अस्पष्टता हो तो इन दशाओं मे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति द्वारा दिया गया निर्णय / आशय (इन्टरप्रीटेशन) अन्तिम व मान्य होगा, जिसे सामाजिक दृष्टिकोण ध्यान मे रखते हुए कोर्ट मे नही ले जाया जा सकेगा।

iknf'kd lHkkvk d xBu d vk/kkj

1 महासभा द्वारा प्रदेश सभाओ के लिए स्वीकृत मॉडल विधान के अनुरूप ही प्रदेश सभाएॅ अपना संविधान नियम एवम उप नियम बनायेगी तथा उसे महासभा से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा। विधान में प्रदेश सभा के गठन के आधार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

2 प्रत्येक प्रदेश सभा को महासभा द्वारा निर्धारित सत्र सम्बद्वता शुल्क प्रदान कर सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3 प्रदेश सभा तथा प्रदेश के अन्तर्गत वे जिला सभाए जहॉ 2000 से अधिक परिवार रहते है, वहाँ जिला सभा/ महानगरों की आंचलिक सभाओं मे एक तथा प्रदेश सभा चुनाव हेतु दो पर्यवेक्षक महासभा द्वारा भेजे जायेंगे। अतः चुनावों की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व चुनाव से सम्बन्धित सूचनाएं महासभा कार्यालय को भेज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कराना होगा ।

4 प्रादेशिक मण्डल के सभी चयनित एवं पदेन सदस्यों का अधिकार समान होगा।

5 प्रादेशिक मण्डल के सभी सदस्य मिल कर अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन के पश्चात अध्यक्ष द्वारा प्रदेश कार्यकारी मण्डल में ख्यातिप्राप्त शिक्षा शास्त्री, लोक सभा, राज्य सभा तथा विधान सभा के सदस्य, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पत्रकारों एवं समाज सेवियों में से पाँच सदस्यों का मनोनयन किया जावेगा।

6 प्रादेशिक मण्डल द्वारा कार्यसमिति सदस्यों के चुनाव में जिला सभाओं को उचित एवम न्याय संगत प्रतिनिधित्व दिया जावेगा इस हेतु प्रादेशिक मण्डल चाहे तो जिलावार सीटों का बंटवारा कर सकता है।

ifjf'k"B ^^ v**

ftyk lHkkvk d xBu lEcU/kh vU; fu;e

1 महासभा द्वरा जिला सभाओं के लिए स्वीकृत विधान के अनुरूप ही जिला सभा अपना संविधान, नियम एवं उपनियम बनायेगी तथा उसे प्रादेशिक सभा से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

2 प्रत्येक जिला सभा के कार्यक्षेत्र का सीमांकन निर्धारण प्रादेशिक सभा कार्यसमिति द्वारा महासभा के दिशा निर्देशानुसार किया जावेगा।

3 युवा एवं महिला संगठन के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य युवा एवं महिलाएं जिला कार्यकारी मण्डल के सदस्य नही होंगे । केवल विशेष परिस्थिति में पूर्व से ही संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत महिला को परिवार से एक और सदस्य बनाया जा सकेगा।

4 जिला सभा कार्यकारी मण्डल सदस्यों की अन्तिक सूची का प्रकाशन सभी आपत्तियों के निवारण के पश्चात चुनाव की तिथि से 30 दिन पूर्व किया जावेगा।

5 जिला कार्यसमिति के चुनाव प्रदेश सभा द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों की देखरेख में होंगे। जिन जिला सभाओं में 2000 से अधिक परिवार निवास करते है वहां प्रदेश पर्यवेक्षको के अलावा महासभा द्वारा भी आवश्यकता होने पर पर्यवेक्षक भेजा जावेगा।

6 जिला मन्त्री / चुनाव अधिकारी से अपेक्षा है कि वे कार्यकारी मण्डल सदस्यों की सूची मय पते व टेलिफोन नम्बर तथा चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी चुनावों की तिथि से एक माह पूर्व प्रदेश मन्त्री एवं 2000 से अधिक परिवार होने पर ही महासभा को भेजे । उस सूची पर जिलाध्यक्ष एवं जिला मन्त्री के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर आवश्यक है।

7. अधिकृत मतदाता सूची प्रतिपृष्ठ दो रूपया लेकर मांगने पर मतदाताओ को उपलब्ध कराई जावेगी।

8. चुनाव सम्बन्धी नियमोपनियम जिला कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे जो मान्य चुनाव आचार संहिता एवं नियमों के अनुसार होंगे।

9. चुनाव सम्पन्न होने पर उसका प्रतिवेदन चुनाव अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर से प्रदेश सभा को भेजा जावेगा।

10 जिला सभा कार्यकारी मण्डल के गठन के सम्बन्ध में परिशिष्ठ ''ब'' एवम् विधान की धारा 8 (1) के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक है।

ifjf'k"B ^^c**

ftyk lHkk d: vUrxZr rglhy lHkkvk d: xBu d: vk/kkj

1 प्रत्येक ग्राम / नगर, जिसमें न्युनतम 10 परिवार निवास करते हों वहाँ स्थानीय सभा का गठन किया जावेगा। स्थानिय सभा अपने सदस्यों में से वंछित संख्या में तहसील कार्यकारी मण्डल हेतु सदस्यों का चयन करेगी । चुनाव में स्थानीय सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिती आवश्यक होगी।

2 ग्राम / नगर या स्थानीय सभा प्रति परिवार जिला कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क लेगी। स्थानीय / ग्राम सभा की सदस्यता हेतु सम्बन्धित परिवार के मुखिया अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति से सदस्यता आवेदन पत्र भराया जावेगा। महिला एवं युवा संगठन का सदस्य स्थानीय / ग्राम सभा का सदस्य नहीं बन सकेगा। स्थानीय सभा को अपने क्षेत्र में रहने वाले माहेश्वरी परिवारों में से कम से कम 60 प्रतिशत परिवारों को सदस्य बनाना आवश्यक होगा। यदि कोई महिला पूर्व में ही मुख्य संगठन में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हो तो उसे विशेष परिस्थिति में स्थानीय सभा की सदस्यता दी जा सकेगी।

3 जिस नगर में एक हजार से अधिक परिवार निवास करते हैं वहाँ सुविधानुसार क्षेत्रीय सभाओं का गठन किया जावेगा। ऐसी सभी क्षेत्रीय सभा को नगर सभा से सम्बद्वता प्राप्त करनी होगी । इसी प्रकार ऐसे शहर जिनका क्षेत्रफल विस्तृत है किन्तु परिवारों की संख्या 500 से 1000 के बीच है वहाँ भी क्षेत्रीय नगरीय तहसील सभा का गठन किया जावेगा । वहाँ की क्षेत्रीय सभाएं ग्राम / नगर सभा के समान ही होगी।

4 प्रत्येक तहसील में कार्यकारी मण्डल के चयनित सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी

- अ) तहसील क्षेत्र में 25 परिवारों से कम होने पर सभी परिवारों के मुखिया अथवा उनके द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकारी मण्डल होगा।
- ब) 26 से 100 परिवारों पर कार्यकारी मण्डल सदस्यों की संख्या अधिकतम 31 होगी।
- स) 101 से 500 से अधिक परिवार होने पर कार्यकारी मण्डल सदस्यों की संख्या अधिकतम 51 होगी।
- ड) 500 से अधिक परिवार होने पर कार्यकारी मण्डल सदस्यों की संख्या अधिकतम 101 होगी।

5 तहसील संगठनों के क्षेत्र में निवास कर रहे नीचे लिखी श्रेणियों में आने वाले सदस्य तहसील कार्यकारी मण्डल पर पदेन सदस्य होंगे। इन्हे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो चयनित सदस्यों को प्राप्त है।

- क) जिला संगठन के विधान की धारा 7 (2) में वर्णित सभी पदेन सदस्य।
- ख) जिला सभा, युवा तथा महिला संगठन के जिले के पदाधिकारी एवम तहसील सभा के निवृत्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री

ukV – उपरोक्त सभी सदस्य तहसील की कार्यसमिति में कोई पद ग्रहण नही करेंगे।

6 उपर (4) व (5) में वर्णित किये गए सदस्यों की सभा तहसील सभा कार्यकारी मण्डल कहलावेगी। ये सभी मिलाकर तहसील कार्यसमिति हेतु एक अध्यक्ष एवं 11 सदस्य चुनेंगे। इनके अलावा अध्यक्ष द्वारा दो तथा जिला कार्यसमिति द्वारा एक सदस्य का मनोनयन किया जावेगा।

7 उपर (6)के अनुसार चुने गए अध्यक्ष व सदस्य अपने में से नीचे लिचे अनुसार पदाधिकारी चुनेंगे।

1 उपाध्यक्ष – एक	2 मन्त्री – एक
3 सहमन्त्री – एक	4 कोषाध्यक्ष – एक
5 संगठन मन्त्री – एक	6 – शेष कार्यसमिति के सदस्य होंगे।

8 प्रत्येक तहसील कार्यकारी मण्डल सदस्यों में से तहसील कार्यसमिति में सम्बधित जिला सभा कार्यसमिति द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जावेगा जिसे अन्य सदस्यों की भाँति सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जिला संगठन के विधान की धारा 11 (क) में वर्णित सभी सदस्य जो तहसील क्षेत्र में निवास करते है, वे सभी तहसील कार्यसमिति के पदेन सदस्य होंगे।

9 जिला सभा कार्यकारी मण्डल में प्रत्येक तहसील के परिवारों की संख्या के आधार पर सदस्य संख्या निश्चित की जावेगी । इनका चयन तहसील कार्यकारी मण्डल प्रत्येक गांव के परिवारों की संख्या को ध्यान में रख कर उचित प्रतिनिधित्व देते हुए करेंगे।

10 तहसील कार्यकारी मण्डल एवं कार्यसमिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया मतगणना, आचार संहिता तथा सदस्यों द्वारा नियमों का उल्लंघन व अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियम प्रदेश एव जिला सभा के विधान के अनुरूप होंगे।

11 प्रत्येक तहसील सभा के चुनाव हेतु कार्यक्रम बनाकर एक माह पूर्व कार्यकारी मंडल सदस्यों की सूची उनके पतों सहित सदस्यों में प्रसारित कर आपत्तियों का निवारण कर अन्तिम सूची संम्बन्धित जिला सभा को स्वीकृति हेतु भेजेगी। चुनाव प्रक्रिया में तिथि, स्थान, समय, पदों हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने, नाम वापस लेने, अन्तिम रूप से अधिकृत प्रत्यशियों की सूची प्रकाशित करने आदि की सूचना स्पष्ट रूप से प्रकाशित की जानी अनिवार्य होगी। स्थानीय सभा द्वारा चयन सूची पर स्थानीय सभा के अध्यक्ष, मन्त्री, तथा तहसील सभा के पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर आवश्यक है स्थानीय सभा के चयन प्रक्रिया कार्यविवरण की फोटोकॉपी अपरोक्त पत्रों के साथ संलग्न की जावें ।

12. तहसील कार्यसमिति के चुनाव कराने हेतु जिला सभा से पर्यवेक्षक बुलाना अनिवार्य होगा। उसकी मौजूदगी में चुनाव कराए जावेंगे । पर्यवेक्षक को इस चुनाव से समबन्धित सभी पत्र जिला सभा द्वारा उपल्बध कराये जायेंगे। चुनाव सम्पन्न होने पर उसकी रिपोर्ट जिला अध्यक्ष / मंत्री को शीघ्र सभी पत्रों के साथ प्रेषित की जावेगी।

13. प्रत्येक ग्राम को एक इकाई मानते हुए तहसील सभा को जिला सभा से संबद्धता प्राप्त करने के लिए जिला कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क देना होगा।

14 तहसील सभाएं कार्य संचालन हेतु जिला सभा के विधान की भावना के अनुरूप नियम बना सकेगी । इनहें सम्बन्धित जिला संगठन की कार्यसमिति से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

'kgjh {k=h; rglhy lÒk,a

15. जिस शहर में 1000 से अधिक परिवार रहते हैं, वहाँ शहरी क्षेत्रीय तहसील सभा का गठन किया जायेगा। इस हेतु शहर को परिवारों की संख्या तथा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों से विभाजित किया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय सभा स्थानीय सभा के समान ही कार्य करेगी। क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के मुखिया अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को क्षेत्रीय सभा का सदस्य बनाया जायेगा। प्रत्येक सदस्य को जिला संगठन द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क देय होगी। क्षेत्रीय सभा के गठन की प्रक्रिया स्थानीय संगठन के अनुरूप होगी। परिशष्ठ "ब" की धारा 3 के अनुसार भी शहरी क्षेत्रीय तहसील सभाओं का गठन किया जायेगा।

1. शहरी तहसील सभा कार्यकारी मण्डल के चयनित सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी :–
   (अ) जिस शहर में 1000 से 3000 परिवार रहते हैं – 101
   (ब) जिस शहर में 3000 से अधिक परिवार रहते हैं – 151
   (स) जिस शहर में 500 से 1000 परिवार रहते हैं – 71 (परिशष्ठ "ब" की धारा 3)

2. प्रत्येक क्षेत्रीय सभा से शहरी तहसील कार्यकारी मण्डल हेतु सदस्य संख्या निम्न प्रकार से तय की जायेगी। शहरी क्षेत्र के कुल परिवारों की संख्या– शहरी तहसील के कार्यकारी मण्डल के सदस्यों की संख्या।
3. शहरी क्षेत्रीय सभा कार्यसमिति में 2000 सदस्य परिवारों तक 21 तथा इससे अधिक परिवार होने पर 31 सदस्यों की पदाधिकारियों सहित कार्यसमिति का गठन किया जायेगा।
4. शहरी तहसील कार्यकारी मण्डल में क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष एवं मंत्री को भेजना आवश्यक होगा।
5. शहरी क्षेत्रीय सभाओं का सीमांकन शहरी तहसील सभा कार्यसमिति की अभिशंषा को ध्यान में रखते हुए जिला सभा कार्यसमिति द्वारा किया जायेगा।
6. शहरी तहसील सभा के गठन की अन्य प्रक्रियाएं यथा वोटर लिस्ट चयन प्रक्रिया कार्यक्रम आदि तहसील सभा के गठन के अनुसार ही हैं।

7. शहरी तहसील सभा प्रत्येक क्षेत्रीय सभा से जिला संगठन की कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रति सत्र होगी एवं सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी करेगी।

8. शहरी क्षेत्रीय सभाएं जिला तथा कार्यकारी मण्डल हेतु सदस्यों का निर्वाचन उनकी आंवटिक संख्या के अनुसार करेगी।

9. शहरी क्षेत्रीय सभाओं तथा शहरी तहसील सभा के चुनावों में जिला सभा के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

10. जिन शहरी तहसील सभाओं में परिवारों की संख्या 3000 से अधिक हैं, वहाँ कार्यसमिति के चुनाव हेतु प्रदेश सभा से भी पर्यवेक्षक भेजा जायेगा।

11. शहरी स्तरीय तहसील सभा में भी पदेन सदस्य उसी प्रकार से होंगे जैसा तहसील सभा गठन बिन्दु संख्या 5 में दिया गया है।

12. शहरी तहसील सभा कार्यकारी मण्डल द्वारा अध्यक्ष एवं कार्यसमिति हेतु 25 सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय सभाओं को उचित प्रतिनिधत्व देते हुए किया जायेगा। अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष कार्यसमिति हेतु 5 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। कार्यसमिति के 31 सदस्य (अध्यक्ष सहित) कार्यसमिति के पदाधिकारियों का चयन करेंगे । पदाधिकारियों के पदों की संख्या एवं नाम का निर्णय शहरी तहसील सभा के विधान के अनुसार होगा।

16 महासभा द्वारा स्वीकृत मॉडल विधान के अनुसार ही प्रदेश, जिला/आंचलिक, तहसील/शहरी तहसील सभा का गठन आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर महासभा, उस प्रदेश सभा उनके जिला व तहसील सभाओं के चुनाव अपने पर्यवेक्षकों की देखरेख में मॉडल विधान व श्रृंखलाबद्ध संगठन की भावना को ध्यान में रखते हुए करा सकेगी और इस तरह से चयनित प्रदेश सभा/जिला ही उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व महासभा में करेगी। इस कार्य हेतु महासभा आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों के लिए तदर्थ समितियों का गठन कर सकेगी।

17. अनेक प्रदेशों में स्थानीय तहसील जिला अथवा प्रदेश सभाएं संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। उन सभी संगठनों को अपने विधान एवं नियमावली में परिवर्तन मॉडल विधान के अनुसार करना होगा अन्यथा उन्हें सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी। किसी भी विवाद में कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति की सदस्यता अथवा संगठन की सम्बद्धता निरस्त करने का अधिकार उसको सम्बद्धता प्रदान करने वाली सभा को होगा।

ifjf'k"B Þ l Þ
¼egkuxjh; vkpfyd ¼ftyk½ lÒkvk dk xBu dh çfØ;k½

श्रृंखलाबद्ध संगठन की सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने तथा प्रत्येक परिवार को संगठन की मुख्य धारा से जोड़ने के दृष्टिकोण से प्रदेश एवं जिला सभाओं के विधानों में परिवर्तन करना समय की आवश्यकता है। कोलकाता, दिल्ली एवं मुम्बई महानगरों को प्रादेशिक सभा के रूप में मान्यता है। इन महानगरों में क्रमशः 10, 8 और 8 आँचलिक (जिला) सभाएं है जिन्हे जिला सभा का दर्जा प्राप्त है। इन महानगरों में श्रृंखलाबद्ध संगठन की प्रथम ईकाई आँचलिक सभाएं है। सभी आँचलिक सभाएं के विधान एवं चुनाव में एक रूपता रहे तथा प्रत्येक परिवार की भागीदारी संगठन में सुनिश्चित की जा सकें इस दृष्टि से उनके विधानों में परिवर्तन करना आवश्यक है। इस दृष्टि से निम्न मार्गदर्शक बिन्दु दिये जा रहे हैं।

1. प्रत्येक परिवार का मुखिया अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति कारे सम्बन्धित आँचिलक सभा का सदस्य बनाया जावेगा। प्रत्येक सदस्य से आँचिलक सभा की कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क ली जावेगी। आँचलिक सभा के गठन हेतु उस क्षेत्र में रहने वाले कम से कम 40 प्रतिशत परिवारों को सदस्य बनाना आवश्यक होगा।

2. परिवार से तात्पर्य एक ही रसोईघर में भोजन करने वाले सदस्यों से है।

3. परिवार में जो व्यक्ति महिला एवं युवा संगठन का सदस्य है सामान्यतः उसे क्षेत्रीय सभा की सदस्यता नहीं दी जावेगी, किन्तु यदि कोई महिला पूर्व से ही आंचलिक संगठन से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है तो उसे भी विशेष परिस्थिति में आंचलिक सभा की सदस्यता दी जा सकेगी।

4. आंचलिक सभा के सभी सदस्य मिल कर आंचलिक कार्यकारी मण्डल का गठन इस प्रकार से करेंगे कि उस अंचल की अलग अलग बस्तियों मे रहने वाले परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें आनुपातिक रूप से आंचलिक कार्यकारी मण्डल में स्थान मिल सके इस हेतु प्रदेश सभा महासभा के मार्गदर्शन से सीटों का आवंटन भी कर सकती है।
5. प्रत्येक आंचलिक कार्यकारी मण्डल के चयनित सदस्यों की संख्या 151 से अधिक नहीं होगी।

6. आंचलिक कार्यकारी मण्डल में चयनित सदस्यों के अलावा जिला संगठन के विधान की धारा 7 (च) अ में वर्णित सभी महानुभाव जो सम्बन्धित आंचलिक सभा क्षेत्र में निवास करते हैं, पदेन सदस्य होंगे।

7. उपरोक्त चयनित एवं पदेन सदस्यों का मण्डल ही उस क्षेत्र का आंचलिक कार्यकारी मण्डल कहलायेगा। पदेन सदस्यों को भी वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो चयनित सदस्यों को प्राप्त हैं।
8. आंचलिक कार्यकारी मण्डल के सदस्यों की वैध सूची सभी आपत्तियों के निराकरण के पश्चात आंचलिक कायसमिति के चुनावों के एक माह पूर्व सम्बन्धित प्रदेश सभा एवं महासभा कार्यालय को सदस्यों के पूर्ण पते एवं टेलिफोन नम्बर सहित अध्यक्ष एवं मन्त्री के हस्ताक्षर से भेजी जावेगी। यह सूची सम्बन्धित सदस्यों को दो रूपया प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध कराई जावेगी।

9. आंचलिक कार्यसमिति के चुनाव में प्रदेश सभा अथवा विशेष परिस्थिति में महासभा के पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे चुनाव सम्बन्धी सारा कार्यक्रम एवं नियमादि चुनाव आचार संहिता के अनुरूप होंगे।

10. आंचलिक सभा द्वारा संगठन के कार्यो को सुगमता से संचालन हेतु जिला संगठन के विधान की धारा 11 (क) के अनुसार पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति का चयन करेगी।

11. आंचलिक सभा के चुनाव सम्बन्धी सारा विवरण प्रदेश एवं महासभा कार्यालय को चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात तत्काल ही पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर सहित भेजा जायेगा।

12. आंचलिक सभा को प्रदेश सभा से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा, इसके लिए प्रदेश सभा की कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रति सत्र देना होगा।

13. अन्य नियम जिला सभाओं के अनुसार ही है।